

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009 CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.nic.in E-mail: commr@cochincustoms.nic.in Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No.44/2017

विषय: स्थाई व्यापार सुविधा समिति - दिनांक 27.09.2017 को आयोजित बैठक का

कार्यवृत्त - संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting

held on 27.09.2017 Reg.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 140वीं बैठक दिनांक 27.09.2017 को 16.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। श्री पुल्लेला नागेश्वर राव, प्रधान आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 140th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 16.00 hrs on 27.09.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Pullela Nageswara Rao, Principal Commissioner chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

- 1. S.Anilkumar, Addl. Commissioner
- 2. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
- 3. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
- 4. Ranbir Bose, Asst.Commissioner
- 5. Vikram Kaushik, Asst. Commissioner
- 6. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
- 7. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
- 8. Bhuvanachandran P., Scientist 'E', NIC
- 9. N Aravindan, Superintendent of Customs
- 10. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
- 11. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs
- 12. Baiju Daniel, Appraiser
- 13. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

- 1. Raj Vinod, Cochin Port Trust
- 2. Dr. Jesto George, FSSAI
- 3. V T Jadhav, Textile Committee
- 4. Rakesh K C CFS KSIE
- 5. A.A.Abdul Azeez, CCBA
- 6. J Jaiprakash Naicken, CSAA
- 7. P S Kannan
- 8. V. Veeraraghav, CFS GDKL
- 9. K Suresh Babu, CFS, CPT
- 10. Alex K Ninan, Sea Food Exporters Association of India
- 11. Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce
- 12. A.K.Vijayakumar, FIEO
- 13. Antony Kotturan, Kerala Chamber of Commerce
- 14. Mukesh, DP World
- 15. A.A.Fernandez, CCBA

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदू उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई Action on minutes of Last Meeting

बिंदु सं. 3 : नौवहन बिल के पृष्ठांकन की प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध

Point No.3. Request to do away with the procedure of Endorsement of Shipping Bills.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि नावा शेवा में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार नौवहन बिलों के पृष्ठां कन को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा किया इस संबंध में एक व्यापार सुविधा जारी की जा रही है।

The Chair informed that the issue was considered and it is decided that the endorsement of Shipping Bills is being done away with on the same lines as that of Nhava Sheva. He further stated that a Trade Facility is being issued.

सभी सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया। All the members welcomed this decision.

बिंद् सं.2 : सीमाश्ल्क गृह, कोचिन से पंजीकृत स्टीमर एजेंटों की सूची

Point No.2. List of Steamer Agents registered with Custom House

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि आईसीईएस में जो सूची उपलब्ध है वह सीएसएए को दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ये सूची पूर्ण नहीं होगी और इसको पूरा करने के लिए सीएसएए की मदद का अनुरोध किया। श्री जयप्रकाश, सीएसएए ने मदद करने की सहमति दी।

The Chair informed that the list as available from ICES would be given to the CSAA. However, he pointed out that list might not be complete and requested the help of CSAA to assist in completion of the same. Shri Jaiprakash, CSAA agreed to assist.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु FRESH POINTS TAKEN UP FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : अधिसूचना सं. 36/2017 के संबंध में स्पष्टीकरण Point No.1. Clarification on Notification No. 36/2017 -

सीएसएए और सीसीबीए ने कंटेनरों की इलैक्ट्रॉनिक सीलिंग के कार्यान्वयन की तारीख के बारे में जानना चाहा। सीसीबीए ने यह भी अनुरोध किया कि उक्त इलैक्ट्रॉनिक सीलों के लिए रीडर्स की व्यवस्था भी जल्द-से-जल्द की जाए। आईसीसी एवं सीसीबीए ने इसके अलावा यह जानना चाहा कि क्या जिन निर्यातकों के पास सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षण में स्टिफंग करने की अनुमित पहले से है, उन्हें सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया के लिए फिर से अनुमित लेनी पडेगी? आईसीसी ने भी इस विषय पर एक सार्वजिनक सूचना जारी करने का अनुरोध किया।

CSAA & CCBA wanted to know the date of implementation of electronic sealing for containers. CCBA further requested that the readers be put in place for these electronic seals at the earliest. ICC & CCBA further wanted to know whether exporters who already are having Customs/Central Excise Supervised Stuffing Permission require further permission for self-sealing procedure. ICC also requested to issue a PN in this regard.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वर्तमान प्रक्रिया 31 अक्तूबर, 2017 तक जारी रहेगी और यह भी कहा कि इलैक्ट्रॉनिक सीलिंग प्रक्रिया को कार्यान्वित करने की तारीख 1 नवंबर, 2017 है। उन्होंने यह बात भी जोड़ी कि सभी प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक व्यापार सुविधा जारी की जाएगी और सदस्यों से अनुरोध किया कि व्यापार सुविधा जारी होने के बाद अपने मृददे सामने रखें।

The Chair stated that the present procedure shall continue till 31st October 2017 and stated that 1st November 2017 is the date of implementation of electronic sealing procedure. He further added that a Trade Facility will be issued incorporating all the procedures and requested the members to come up with points after the issue of the Trade Facility.

बिंदु सं. 2: बैंकिंग चैनलों के माध्यम से पी.क्यू. भुगतान स्वीकार नहीं करना Point No.2. Non- Acceptance of PQ payments through Banking Channels.

सीसीबीए ने कहा कि पी.क्यू. भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं और सीमाशुल्क से अनुरोध किया कि भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए इस मामले को पी.क्यू के साथ उठाएं।

CCBA stated that PQ payments are being received only through credit/debit cards and requested Customs to take up the issue with PQ for setting up Internet Banking Facility for the payments.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पी.क्यू. के कोई भी प्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए इस मामले को पी.क्यू. के साथ अलग से उठाया जाएगा।

The Chair stated that the issue will be taken up with PQ Authorities separately since no representative from PQ was present in the meeting.

बिंदु सं. 3 : ग्रूप VII द्वारा शुल्कवापसी नौवहन बिलों का निर्धारण करना Point No.3. Assessment of Drawback Shipping Bills by Group VII.

सीसीबीए ने कहा कि शुल्कवापसी नौहवन बिलों के निर्धारण के लिए गूप VII में एक मूल्यनिरूपक की तैनाती की जाए क्योंकि इससे निर्यात प्रक्रिया में देरी हो रही है।

CCBA stated that an appraiser may be posted at Group VII for assessment of Drawback Shipping Bills as this was delaying the export procedure.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अभी अधिकारियों की कमी है और अधिकारी को तैनात करने के लिए कार्रवार्ड की जाएगी।

The Chair stated that there was a shortage of officers and action would be taken to post an officer.

बिंदु सं. 4: अग्रिम आगम पत्र दायर करने में हो रही दिक्कतें-Point No.4. Issues in filing Advance Bill of Entry-

सीसीबीए ने कहा कि मैनिफेस्ट दायर करते समय फॉरवर्डर और नौवहन लाइनें बिल ऑफ लेडिंग के मामले में अलग-अलग शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग के साथ मेल न खाने पर मैनिफेस्ट संशोधन होता है और इससे निकासी में देरी होती है।

CCBA stated that forwarders and Shipping Lines are following different nomenclature with respect to the Bill of Lading while filing Manifests. The mismatch with Bill of Lading leads to Manifest Amendment and therefore delays in clearance.

अध्यक्ष महोदय ने मत व्यक्त किया कि यह मुद्दा सीएसएए के साथ सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने सीसीबीए और सीएसएए से यह भी अनुरोध किया कि यह मुद्दे पर आपस में विचार करें और माल की निकासी में हो रही देरी से बचने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें। सीसीबीए और सीएसएए ने अगली बैठक में इसका समाधान ढूंढ लाने पर सहमति जताई।

The Chair opined that this was an issue to be sorted out with CSAA. He further requested CCBA & CSAA to discuss this matter among themselves and come out with guidelines to avoid delay in clearance of goods. CCBA & CSAA agreed to come out with a solution by next meeting.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting with a word of thanks to the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao) प्रधान आयुक्त Principal Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II तारीख Dated 3.10.2017.

//अन्प्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै Vijayan Pillai) सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.

The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to: Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members